संख्या 258/VI-I/2006–2(5)2008

प्रेषक,

एन0एस0नेगी,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
खेल निदेशालय,
देहरादून।

खेल एवं युवा कल्याण अनुभागः देहरादून दिनांक 14 अगस्त 2008

विषयः राजकीय स्पोर्टस स्टेडियम कोटद्वार के अनावासीय भवन के अनुरक्षण हेतु विशेष मरम्मत हेतु वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय के पत्र संख्या 951/को0स्टे0पे0/2008–2009,दिनांक 27 मई 2008 के सम्बन्ध मे मुझे यह कहने का निदेश हुआ हैं कि **राजकीय स्पोर्टस स्टेडियम**, कोटद्वार के अनावासीय भवन के अनुरक्षण विशेष मरम्मत हेतु ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा इकाई पौड़ी द्वारा तैयार आगणन की रू0 8.66 लाख (रू0 आठ लाख छियासठ हजार मात्र) के सापेक्ष टी0ए0सी0 द्वारा औचित्यपूर्ण धनराशि रू0 8.04 लाख (रू0 आठ लाख चार हजार मात्र) की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए वर्तमान वित्तीय वर्ष 2008–2009 में श्री राज्यपाल महोदय निम्न शर्तो एवं प्रतिबंधो के अधीन शासनादेश संख्या– 263/VI-I/2008 /2(19)2007 दिनांक 21 जुलाई 2008 के द्वारा आपके निर्वतन पर रखी गयी धनराशि से व्यय किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों की तथा जो दरें शिड्युल ऑफ रेट में स्वीकृत नही हैं अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधिक्षण अभियन्ता से अनुमोदन करना आवश्यक होगा।तदोपरान्त ही आगंणन की स्वीकृति मान्य होगी।

3. कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन /मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी,बिना प्राविधिक स्वीकृति के किसी भी दशा में कार्य को प्रारम्भ न किया जाये।

4. कार्य पर उतना ही व्यय किया जाये जितना कि स्वीकृत नार्म हैं,स्वीकृति नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

4. एक मुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणंन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीृति प्राप्त करने के उपरान्त कार्य टेकअप किया जाये।

5. कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताए तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए निर्माण कार्य का सम्पादित कराना सुनिश्चित करें।

6. कार्य कराने पूर्व स्थल का भली भॉति निरीक्षण उच्च अधिकारियों के साथ अवश्य करा लें। निरीक्षण के पश्चात ही कार्य आरम्भ करें।

7. आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गयी हैं, उसी मद पर व्यय किया जाये, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जायें।

8. निर्माण सामग्री प्रयोग में लाने से पूर्व सामग्री का किसी प्रयोगशाला से टेस्टिंग करा ली जाये तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को ही प्रयोग में लाया जायें।

9. जी0पी0डब्लू फार्म 9 की शर्तो के अनुसार निर्माण कार्य सम्पादित करना होगा तथा समय से कार्य का पूर्ण न करने पर 10 प्रतिशत की दर से आगंणन की कुल लागत का निर्माण इकाई से दण्ड वसूल किया जायेगा। कार्य को समयबद्व ढंग से शीघ्र पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जाय। विलम्ब के कारण आंगणन पुनरीक्षण पर विचार नहीं किया जायेगा।

10. किसी भी कार्यालय /संस्थाओं के निर्माण को विस्तृत आगणन गठित करते समय स्वीकृत ज्ञातव्य एवं नार्मस के अनुसार गठित किया जाये तथा उसकी सूचना प्रशासनिक विभाग को भी दें एवं डिग्री कालेजों/मेडिकल के हास्टलों का निर्माण एच0आई0 सी0 के मानकों के आधार पर प्रारंभिक आगणन गठित किये जायें।

11. मुख्य सचिव उत्तरांचल के शासनादेश सं0 2047 XII–219/(2006) दिनाक 30 मई 2006 द्वारा निर्गत आदेशों के क्रम में कार्य कराते समय अथवा आगंणन गठित करते समय कड़ाई से पालन करने का कष्ट करे।

14. उपरोक्त आंवटित धनाशि का उपयोग केवल उन्हीं मदों में किया जायेगा जिन मदो के लिये यह स्वीकृत किया जा रहा हैं। यहा यह भी स्पष्ट किया जाता हैं कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करन का अधिकार नही देता हैं,

जिसे व्यय करने के लिये बजट मैनुअल या वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृत व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक हैं।

15. किसी भी में व्यय के पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका,बजट मैनुअल,भंडार कय नियम तथा मितव्ययता सम्बन्धी समय--समय पर निर्गत शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। उपकरणों का कय डी0जी0एस0एण्ड डी0 की दरों पर किया जायेगा और ये दरें न होने की स्थिति में टेण्डर (कोटेशन) विषयक नियमों का अनुपालन करते हुये ही किया जायेगा।

6.

16. उपरोक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2008–2009 के अनुदान संख्या –11 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक –4202–शिक्षा,खेलकूद तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय –03–खेलकूद तथा युवा सेवा खेलकूद स्टेडियम –102–खेलकूद स्टेडियम (लधुशीर्षक 108 के स्थान पर) –09– अवस्थापना सुविधाओं का अनुरक्षण –24–बृहद निर्माण कार्य के आयोजनागत पक्ष के नामें डाला जायेगा।

17. उपरोक्त आदेश वित्त विभाग के अशा0 पत्र संख्या –171(P) वित्त अनुभाग–3/2006 दिनांक 07 अगस्त 2008 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(एन0एस0नगी)
अपर सचिव

पृष्ठांकन संख्याः– 258 /VI-I/2006–2(5)2008 तददिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी,उत्तराखण्ड, देहरादून।
2– निजी सचिव, मा0 खे एवं युवा कल्याण मंत्री जी उत्तराखण्ड शासन।
3– वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
4– अधिशासी अभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, पौड़ी गढवाल।
5– वित्त अनुभाग–3 उत्तराखण्ड शासन /बजट राज कोषीय संसाधन निदेशालय देहरादून।
6– एन0आई0सी0 सचिवालय देहरादून।
7– गार्ड फाईल।

आज्ञा स,

(संजीव कुमार शर्मा)
अनुसचिव